अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा।

पत्रांक ......533...... /अनु०

प्रेषक,

ई० खलीकुज्जमा,
अधीक्षण अभियंता,

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोगरी।

सहरसा, दिनांक 11.06.2022 /

विषय : **शीर्ष 3054 (MR) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोगरी के अधीन स्वीकृत Gogri Chowk Se G.N Bandh Imadpur, (ग्रुप संख्या–MR-22-Gogri-01), (Tender ID–2022_ECBIH_118522_1) पथ मरम्मति कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग : आपका पत्रांक 1098 अनु0, दिनांक 10.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–**163** के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य **निविदाकार Mithun Kumar (Bid ID-510814), Address-Pakrail, Ward No-11, Mungeria tola, District-Khagaria, Reg No-3190957, Class-III** को उनके द्वारा निविदित दर, जो कि परिमाण विपत्र से **10.75% (दस दशमलव सात–पॉच प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल Rs 35,34,036=00 (पैतीस लाख चौतीस हजार छत्तीस)** रूपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

2. कार्य का निष्पादन **3054 (MR) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के MBD** की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इस कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वोद्धारण नहीं होगा।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित अग्रधन एवं परफॉरमेंस सिक्यूरिटी आदि का सत्यापन सम्बन्धित बैंक/डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी** कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
6. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
7. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
8. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपवन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
9. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेगें जो की एकरारनामा का भाग होगा।

P.T.O.

10. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा की जायेगी।

11. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप होगी।

12. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वॉछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

14. इस कार्य का व्यय **3054 (MR) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के MBD** योजनान्तर्गत की उपबंधित राशि से विकलित होगा।

15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवां तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

16. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

17. प्रसांगिक पत्र के साथ संलग्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा (***छाया प्रति संलग्न***)।

18. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

19. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलम्ब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं **3054 (MR) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के MBD** में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु Proper Justification उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

20. विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4(मु0) विविध–23–291/2014–131 दिनांक 13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन

11/06/21

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
सहरसा।

11/06/21